

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक ०७ जुलाई, २०२०

विषय : COVID-19 Positive व्यक्तियों के Home Isolation हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।

प्रसंग : स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- ११/महा०(विविध)०५/२०२०- ४५०(११) दिनांक २३-६-२०२०

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभिन्न जिला पदाधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम के संबंध में की जा रही समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न जिला पदाधिकारियों द्वारा यह मांग की गयी कि कोरोना पोजिटिभ चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों मरीजों को जो Home Isolation की सुविधा दी गयी है वैसी सुविधा अन्य व्यक्तियों को भी देने पर विचार किया जाए।

उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी कोरोना पोजिटिभ मरीज को Home Quarantine अथवा Isolation Centre में रखे जाने के निर्णय के लिए जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। संबंधित व्यक्ति को यह सुविधा तभी प्रदान की जायेगी जब उनके घर पर Self Isolation एवं अन्य पारिवारिक सम्पर्क को Quarantine करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो। Home Isolation में रहने के दौरान इन्हें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करना होगा। COVID- 19 से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण (symptom) आने पर नजदीकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करना होगा ताकि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके।

उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों का Home Isolation सैम्पत्ति कलेक्शन के 14 दिनों के पश्चात समाप्त हो जायेगा, बश्तर्ते उनमें COVID- 19 का कोई लक्षण (symptom) न हो। साथ ही Home Isolation में रह रहे उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संलग्न प्रपत्र में एक undertaking भी समर्पित करना होगा (प्रपत्र संलग्न)

विश्वेश सभाजन,

अनु : यथोक्त ।